लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक...BRLPS/LSBA/Proj/104/19/868 दिनांक 25.11.19

प्रेषक,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
ज़िला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार।

विषय: **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत बेसलाईन सर्वे एवं LOB से छुटे हुए घरों को NLOB -No one left Behind (Universal Coverage) की सूची दर्ज कर राज्य के शत् प्रतिशत घरों को शौचालय से आच्छादित किये जाने के संबंध में।**

महाशय/ महाशया,

उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत शत् प्रतिशत घरों को शौचालय से आच्छादन के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक IMIS में (बेसलाईन सर्वे एवं LOB से छुटे घरों सहित) कुल 1.24 करोड़ घरों को शौचालय से आच्छादित किया जा चुका है।

विदित है कि राज्य में शौचालय आच्छादन एवं उपयोग से संबंधित कराये गये विभिन्न सर्वे (NARSS सर्वे, युनिसेफ सर्वे, जीविका सर्वे, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई सर्वे इत्यादि)के क्रम में राज्य के कुछ हिस्सों में अभी शौचालय आच्छादन में 10-15% का अन्तर (गैप) पाया गया है।

राज्य के कुछ हिस्सों (विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों) में शौचालय आच्छादन के अंतर को आच्छादित करने हेतु विभागीय मंत्री द्वारा सभी माननीय विधान सभा सदस्यों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था एवं समाचार पत्रों के माध्यम से भी आम-जनों को इस संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। शौचालय आच्छादन से छुटे हुए घरों/परिवारों/लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु मोबाईल एप एवं वेब पोर्टल की भी सुविधा प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त प्रावधानों एवं प्रयासों के बावजूद अभी भी विभिन्न सर्वे में शौचालय आच्छादन में राज्य के कुछ हिस्सों में अन्तर(गैप) पाया जा रहा है, जिसे अविलंब समेकित प्रयासों से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।

राज्य के अनुरोध पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NOLB (UC) अन्तर्गत सभी योग्य श्रेणी के घरों ,जो पूर्व में शौचालय आच्छादन से छुटे गये

थे (बेसलाईन सर्वे एवं LOB सहित) को जोड़ने की अनुमति दी गयी है जिसके आलोक में निम्न निदशों के अनुरूप अभियान चलाकर 31.12.2019 तक सभी योग्य घरों/परिवारों को जोड़ा जाए:-

i. NLOB -No one left Behind (Universal Coverage) अन्तर्गत वैसे लाभार्थी को ही चयनित कर जोड़ा जाना है जो बेसलाईन सर्वे एवं LOB सहित अन्तर्गत आच्छादित नहीं किये गये थे।

ii. किसी भी स्थिति में पूर्व से लाभान्वित घर/परिवारों के अन्य सदस्यों के नाम को नहीं जोड़ा जायेगा। NOLB (UC) अन्तर्गत लाभार्थियों के नाम हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत्त वार्डवार/ग्रामवार तैयार किया गया ODEP को आधार माना जा सकता है।

iii. छुटे हुए घरों/लाभार्थियों के नाम NOLB (UC) में जोड़ने या स्वयं लाभार्थियों द्वारा दिये गये आवेदनों को वार्ड स्तर पर जांचोपरान्त ही शामिल किया जाए। NOLB (UC) हेतु तैयार सूची को बेसलाईन सर्वे एवं LOB सूची से मिलान कर, सम्पूर्ण सूची ग्राम पंचायत को अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

iv. NOLB (UC) अन्तर्गत भूमिहीन या शौचालय हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने वाले लाभार्थियों/घरों की भी सूची तैयार की जायेगी ताकि इस आधार पर ऐसे घरों हेतु वैकल्पित व्यवस्था (सामुदायिक शौचालय/कलस्टर शौचालय/चलंत शौचालय इत्यादि) किया जायेगा।

v. NOLB (UC) अन्तर्गत शत् प्रतिशत घरों को शौचालय से आच्छादित किये जाने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं जीविका के ग्राम संगठनों से सहयोग प्राप्त किया जायेगा। NOLB (UC) अन्तर्गत दिनांक 31.12.2019 तक उपलब्ध सभी घरों का शत् प्रतिशत आच्छादन हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी तथा जिला स्तर पर जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकार- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की जिम्मेवारी होगी।

vi. NOLB (UC) अन्तर्गत दिनांक विभिन्न स्रोतों (यथा- ग्राम सभा/ मोबाईल ऐप/ लाभार्थियों द्वारा) से प्राप्त आवेदनों को प्राप्त करने(पंजी में दर्ज करने) एवं समेकित कर मिलान एवं जांच करने हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक सेल का गठन किया जाए, जिसमें प्रखण्ड ऑपरेटर, स्वच्छाग्रही, सहायक, प्रखण्ड समन्वयक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनित एक पर्यवेक्षक नामित किये जायेंगे।

vii. प्रखण्ड स्तर पर NOLB (UC) हेतु प्राप्त आवेदनों के जांचोपरान्त सभी योग्य आवेदनों को IMIS के K02 Module में District Login से इंट्री किया जायेगा जहां प्रत्येक आवेदनों के विरूद्ध Unique Baseline No. आवंटित होगा एवं दर्ज इंट्री को जिला स्तर पर Approve किया जायेगा।

viii. जिलों से अनुमोदन के उपरांत दर्ज नाम (बेसलाईन नं० सहित) के विरूद्ध निर्मित शौचालय के जिओ-टैगिग हेतु उपलब्ध होगा, जिसमें जिओ-टैगिंग हेतु पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिओ-टैग किया जायेगा एवं Geo-Tagged शौचालय का अनुमोदन जिला स्तर पर किया जायेगा।

ix. Geo-Tagging के अनुमोदन के उपरांत K04 Module में Physical Entry दर्ज किया जायेगा एवं उसके उपरांत दर्ज नाम प्रोत्साहन राशि हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पोर्टल पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लॉगिन मे उपलब्ध होगा जहां पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड समन्वयक/जिला समन्वयक को अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेशित करने की कृपा करेंगे तथा जिले के शत् प्रतिशत घरों को शौचालय से आच्छादन हेतु लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे।

विश्वासभाजन

25/11/19

(बालामुरूगन डी.)

ज्ञापांक: BRLPS/LSBA/Proj/104/19/868

दिनांक: 25.11.19

प्रतिलिपि सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

25/11/19

(बालामुरूगन डी.)